इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 618] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 दिसम्बर 2022–अग्रहायण 17, शक 1944

### सहकारिता विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2022

क्र. 1565–1631–2020–पंद्रह–2.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी राजपत्रित सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

## नियम

**1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.-**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश, राज्य सहकारी (राजपत्रित) सेवा भरती तथा सेवा की शर्तें नियम, 2022 है।

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

**2. परिभाषाएं.-** इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, सरकार या ऐसा प्राधिकारी जिसे इस सेवा या पद पर भर्ती करने की शक्ति है;

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;

(ग) "आयुक्त" से अभिप्रेत है, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश;

(घ) "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 07-10/2019/आ.प्र./एफ भोपाल, दिनांक 02 जुलाई, 2019 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग।

(ङ) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(च) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ज) "सेवा" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी सेवा श्रेणी एक व दो (जैसा कि अनुसूची दो के कॉलम (2) में उल्लेख है);

(झ) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य;

(ञ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ट) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति, मूलवंश या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ठ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्र-एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

3. **विस्तार एवं लागू होना.-** मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम अनुसूची-एक में यथावर्णित सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.-** सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्.-

(एक) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भरती किए गए हों और,

(दो) वे व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भरती किए गए हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि.-** सेवा का वर्गीकरण, उसका वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी:

परन्तु, सरकार सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय-समय पर स्थायी या अस्थायी तौर पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. **भर्ती का तरीका.-**

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भरती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्:-

(क) प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती तथा चयन द्वारा;

(ख) मध्य प्रदेश सहकारी सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (राजपत्रित एवं अराजपत्रित सेवाओं के तदर्थ सदस्यों की पदोन्नति द्वारा) जैसा कि अनुसूची चार के कॉलम (2) में वर्णित किया गया है;

(ग) इस संबंध में यथा विनिर्दिष्ट सेवाओं में वर्णित पद मूल रूप से धारण करने वाले व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा।

(2) उप-नियम (1) के खण्ड (ख) अथवा खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या अनुसूची-एक में यथा विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची-दो में यथा विनिर्दिष्ट किए गए प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते सेवा में किसी विशेष अवधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा के किसी भी विशेष विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(4) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से सेवा में भर्ती संबंधी उन तरीकों को छोड़, जिनका उक्त उप-नियम में उल्लेख किया गया है, अन्य तरीके अपना सकेगी।

**7. सेवा में नियुक्ति.-**

(क) इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

(ख) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 07-10/2019/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 02 जुलाई, 2019 के निर्देशों के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) हेतु 10 प्रतिशत पद आरक्षित होंगे।

**8. सीधी भर्ती के लिए पात्रता संबंधी शर्तें.-** सीधी भर्ती के लिए पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी 3-8/2016, दिनांक 04 जुलाई, 2019 के अनुसार, निम्नलिखत शर्तें पूरी करनी चाहिए, अर्थात्:-

(क) **आयु.-** न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/ नगर सैनिक/भूतपूर्व सैनिक/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट रहेगी,जैसाकि राज्य सरकार द्वारा समय-समय, पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अवधारित किया जाए।

(ख) **शैक्षणिक अर्हता.-** अभ्यर्थी के पास सेवा पद के लिए अनुसूची तीन में यथा विहित शैक्षणिक तथा अन्य अर्हता होनी चाहिए।

(ग) **फीस.-** अभ्यर्थी की नियुक्ति प्राधिकारी/आयोग/सरकार द्वारा समय समय पर यथा पुनरीक्षित फीस का भुगतान करना होगा।

9. निरर्हता.-

(1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के लिए किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी/आयोग/राज्य सरकार द्वारा परीक्षा/चयन में उनके उपस्थित होने के लिए निरर्हता माना जाएगा ।

(2) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गयी न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह किया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को अथवा उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, बशर्ते कि दूसरी संतान जुडवा न हो।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया। हो, सेवा के लिए पात्र नहीं होगा। यदि न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित हो तो उसकी नियुक्ति आपराधिक कार्यवाहियों का विनिश्चय होने तक लंबित रखी जाएगी।

(5) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, सेवा के लिए अपात्र होगा।

(6) अन्य कोई कारण जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।

10. अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी/आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.- परीक्षा में प्रवेश देने के संबंध में किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी/आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है।

11. प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती.-

(1) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जाएगी, जैसा कि सरकार समय-समय पर आयोग से परामर्श कर अवधारित करे।

(2) परीक्षा, आयोग के परामर्श से, सरकार द्वारा द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार आयोजित की जाएगी ।

(3) सीधी भर्ती, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण), नियम 1998 के उपबंधों एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे। उपलब्ध रिक्तियों में से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए

विशेष उपबंध) नियम, 2015 के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए भी पद आरक्षित रखे जाएंगे।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्त स्थानों को भरते समय ऐसे अभ्यर्थियों को, जो कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिसमें कि उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनकी सापेक्षित रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(5) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी, उनके लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो शेष रिक्तियां किसी भी रीति से अन्य अभ्यर्थियों से नहीं भरी जाएंगी।

(6) सरकार द्वारा घोषित शारीरिक रूप से निःशक्तजनों के लिए आरक्षण के उपबंध होरीजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंट वार होंगे।

**12. आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची.-**

(1) आयोग अपने द्वारा नियत किए गए मानकों के अनुसार अर्ह-अभ्यथियों की योग्यता के क्रम में तैयार की गई सूची तथा अनुसूचित जाति, एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उन अभ्यथियों की सूची, जो यद्यपि उक्त मानकों के अनुसार अर्ह नहीं है, किन्तु जिन्हें आयोग ने प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया है, सरकार को भेजेगा। यह सूची सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित भी की जाएगी।

(2) इन नियमों तथा मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये उपलब्ध रिक्त स्थानों पर सूची में आए उनके नामों के क्रम से अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।

(3) सूची में किसी भी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने पर, उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जॉच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, समाधान नहीं हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

**13. सहकारिता विभाग के कनिष्ठ श्रेणी, वरिष्ठ श्रेणी, चयन श्रेणी तथा वरिष्ठ चयन श्रेणी की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड.-**

(1) कनिष्ठ श्रेणी, वरिष्ठ श्रेणी, चयन श्रेणी तथा वरिष्ठ चयन श्रेणी वेतनमान में कार्य कर रहे केवल ऐसे अधिकारी ही सेवा के उच्चतर वेतनमान में नियुक्ति हेतु अनुसूची चार (क) के कॉलम (5) में विहित चयन समिति द्वारा विचारण हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने एक जनवरी को अनुसूची चार (क) के कॉलम क्रमांक (4) में यथा विहित सेवा अवधि पूर्णकर ली हो।

स्पष्टीकरण :- चयन के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति.-

संबंधित वर्ष की, जिसमें विभागीय समिति आहूत की गई है, अर्हकारी सेवा की गणना की जाएगी। एक जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना उस केलेण्डर वर्ष के प्रारंभ से की जाएगी जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/ सेवा के भाग /पद के वेतनमान में आया है और संवर्ग/ सेवा के भाग /पद के वेतनमान में आने की तारीख से गणना नहीं की जाएगी।

तथापि, सेवा का कोई कनिष्ठ सदस्य उसके द्वारा पूर्व में की गई सेवा के वर्ष के आधार पर इन नियमों के अधीन सेवा के उच्चतर वेतनमानों में उससे वरिष्ठ व्यक्ति से पहले नियुक्ति के लिऐ विचार किए जाने का पात्र नहीं होगा:

परंतु वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर समयमान वेतनमान प्रदाय करने के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अधीन जिन सेवायुक्तों को वरिष्ठ श्रेणी, चयन श्रेणी तथा वरिष्ठ चयन श्रेणी वेतनमान प्रदाय किया जाता है, उन्हें यह वेतनमान प्रदाय करने के लिए निर्धारित सेवाअवधि की गणना संवर्ग में प्रथम नियुक्ति की दिनांक से की जाएगी।

(2) जिन सेवायुक्तों को वरिष्ठ श्रेणी, चयन श्रेणी तथा वरिष्ठ चयन श्रेणी समयमान /वेतनमान प्रदाय किया जाता है या प्राप्त हो रहा है, उन्हे उस वेतनमान के समकक्ष पदनाम से संबोधित किया जाएगा।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तन की जानकारी समिति को देगा तथा समिति की टिप्पणियों को, यदि कोई हो, विचार में लेने के पश्चात् सूची को ऐसे उपांतरणों के साथ, यदि कोई हो, जो उसकी राय में समुचित तथा न्यायसंगत, हो अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा।

(4) चयन का आधार "वरिष्ठता सह योग्यता" होगा। उपरोक्तानुसार चयन सूची आगामी एक वर्ष के लिए उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी। राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् स्वीकृत चयन सूची से उपलब्ध पद के आधार पर सेवा के उच्च वेतनमान में नियुक्ति की जाएगी।

**14. सहकारिता विभाग के कनिष्ठ श्रेणी, वरिष्ठ श्रेणी, चयन श्रेणी तथा वरिष्ठ चयन श्रेणी वेतनमान, नियुक्ति के लिए नीति.-**

(1) कनिष्ठ श्रेणी, वरिष्ठ श्रेणी, चयन श्रेणी तथा वरिष्ठ चयन श्रेणी वेतनमान से अभिप्रेत है, अनुसूची चार (क) के कालम (2) तथा (3) में दर्शित वेतनमान का लाभ प्राप्त कर रहा अधिकारी।

(2) समयमान वेतनमान हेतु अनुसूची चार के कॉलम (5) के अनुसार शासन स्तर पर विभागीय पदोन्नति समिति पदोन्नति के द्वारा कनिष्ठ श्रेणी, वरिष्ठ श्रेणी, चयन श्रेणी तथा वरिष्ठ चयन श्रेणी वेतनगान का लाभ ले रहे अधिकारियों को ही समकक्ष पद नाम दिया जाने की कार्यवाही की जाएगी।

(3) चयन " वरिष्ठता सह योग्यता" के आधार पर होगा। उपरोक्त चयन सूची, आगामी एक वर्ष की उदभूत होने वाली रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा चयन सूची का अनुमोदन कर दिये जाने के पश्चात् अनुमोदित चयन सूची में से सेवा के उच्चतर वेतनमानों में पदों की उपलब्धता के आधार पर नियुक्ति की जाएगी।

(4) यदि अधिकारी सहायक आयुक्त है एवं 16 वर्ष का द्वितीय समयमान वेतनमान पा रहा है तो भी पदनाम एक स्तर आगे अर्थात् उपायुक्त का दिया जाएगा।

(5) जिन अधिकारियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय समयमान वेतनमान प्राप्त हो रहा है उन्हीं के नाम पर विचार किया जाएगा।

(6) विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उच्च रिक्त पदों के डेढ़ गुना नामों का पैनल बनाया जाकर रिक्त पद के विरूद्ध कनिष्ठ श्रेणी, वरिष्ठ श्रेणी, चयन श्रेणी तथा वरिष्ठ चयन श्रेणी वेतनमान, पदनाम दिया जाएगा तथा शेष नाम प्रतीक्षा सूची में रहेंगे तथा जैसे-जैसे उच्च स्तर पर रिक्तियां होंगी प्रतीक्षा सूची में से अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाएगा।

(7) उच्चतर समयमान पदनाम के लिए विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा निम्नानुसार निर्धारित मापदण्डों का पालन किया जाएगा -

(क) संनिष्ठा संदेह से परे हो;

(ख) पांच वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन में कोई गंभीर प्रतिकूल टीका अंकित न हो तथा किसी भी वर्ष में "ग" एवं "घ" श्रेणी नहीं होनी चाहिए;

(ग) पिछले पांच वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों के मूल्यांकन के लिए श्रेण 'क+' को 04 अंक,'क' को 03,'ख' को 02,'ग' को 01 तथा 'घ' को 0 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रथम समयमान वेतनमान के लिए उपयुक्तता हेतु 05 वर्षों का सामान्य मूल्यांकन कम से कम बहुत अच्छा श्रेणी (13 अंक) होना चाहिए;

(घ) विचारण अवधि पांच वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन में से यदि किन्हीं वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में उन अधिकारियों के उतने ही पूर्व वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन विचार में लिए जाए;

(ङ) जिन अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण लंबित है तथा जिन प्रकरणों में अपचारी अधिकारी को आरोप पत्र जारी किया जा चुका है तथा दांडिक अपराध में संलिप्तता के कारणों में संबंधित अधिकारी के विरूद्ध दायर आपराधिक मामलों में जहां वैधानिक रूप से आवश्यक है, अभियोजन की स्वीकृति जारी की जा चुकी है एवं न्यायालय में अभियोग पत्र भी प्रस्तुत हो चुका है, ऐसे समस्त प्रकरणों में विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा बंद लिफाफे में रखी जाएगी;

(च) जिन अधिकारियों को विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण में दोषी पांए जाने के कारण दंडित किया गया है, तथा दण्ड प्रभावशील है उन्हें विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुपयुक्त ठहराए जाने का विनिश्चय लिया जाएगा;

(छ) विभागीय पदोन्नति समिति को यह प्राधिकार होगा कि किसी प्रकरण में आवश्यकता होने पर संबंधित अधिकारी के गोपनीय प्रतिवेदन का समग्र मूल्यांकन कर श्रेणी के संबंध में युक्तियुक्त निर्णय ले सके;

(ज) विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार क्षेत्र में आने वाले अधिकारियों को प्रथम समयमान वेतनमान स्वीकृत किए जाने के लिए पिछले पांच वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों के समग्र मूल्यांकन का आधार निर्धारित किया जाएगा।

(8) इस कंडिका में उल्लेखित नीति के अंतर्गत समयमान वेतनमान के समकक्ष पदनाम के लिए की गई कार्यवाही कंडिका 15 के अध्यधीन रहेंगी।

(9) इस कंडिका के अंतर्गत नीति अनुसार की गई कार्यवाही माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित न्यायालयीन प्रकरणों के निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

**15. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.-**

(1) पात्र अभ्यर्थियों के प्रारंभिक चयन करने के लिए एक विभागीय पदोन्नति समिति गठित की जाएगी, जिसमें इससे संलग्न अनुसूची चार में उल्लेखित सदस्य होंगे।

(2) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक सामान्यतया वर्ष में कम से कम एक बार होगी।

(3) रक्षित रिक्त स्थानों में पदोन्नतियों के लिए प्रक्रिया शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होंगी।

**16. पदोन्नति के लिए पात्रता.-**

(1) उप-नियम (2) के उपबन्ध के अध्यधीन रहते हुए, विभागीय पदोन्नति समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की एक जनवरी को उन पदों पर, जिनसे कि पदोन्नति की जानी है या किसी अन्य पद या पदों पर जिन्हें शासन ने उनके समतुल्य घोषित किया हो, स्थानापन्न या मौलिक रूप से उतनी वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो जितनी अनुसूची चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है और जो उप-नियम (2) के उपबन्धों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों:

परन्तु आपात कमीशन तथा अल्पसेवा कमीशन की सेवा में नियुक्ति के पश्चात् उनकी सेवाएं सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2266/1987/1(3) 67 दिनांक 21 अक्टूबर, 1967 के अनुसार जिस तारीख से सेवा में नियुक्त माना गया है, उसी तारीख से उनकी सेवा की गणना की जाएगी:

परन्तु और कि इस निर्णय के अंतर्गत किसी कनिष्ठ व्यक्तिय को चयन श्रेणी पदोन्नति के लिए केवल उनकी निर्धारित सेवा की अवधि पूरी करने के आधार पर उसके वरिष्ठ व्यक्ति से पहले विचार नहीं किया जाएगा।

(2) पदोन्नति हेतु विचारण क्षेत्र में लिए अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में.राज्य सरकार द्वारा समय-समय, पर जारी दिशा निर्देश लागू होंगे।

17. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.-**

(1) विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो सेवा में, पदोन्नति के लिए उपर्युक्त नियम 16 में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों, तथा जिन्हें समिति सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझे।सूची में दो वर्ष के लिए संभावित रिक्त स्थानों को भरने के लिए पर्याप्त नाम होंगे।

(2) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए किया जाने वाला चयन, वरिष्ठता, योग्यता तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर आधारित होगा।

(3) सूची में सम्मिलित किए गए अधिकारियों के नाम सेवा में वरिष्ठता क्रम से रखे जायेंगे। परन्तु किसी ऐसे कनिष्ठ अधिकारी को, जो विभागीय पदोन्नति समिति की राय में विशेष रूप से योग्य तथा उपयुक्त हों, उससे वरिष्ठ अधिकारियों की तुलना में सूची में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा।

(4) इस प्रकार तैयार की गयी सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा।

(5) यदि इस प्रकार चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण के दौरान यह प्रस्तावित किया जाए कि मध्यप्रदेश राज्य सहकारी राजपत्रित सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण किया जाए तो विभागीय पदोन्नति समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारण लेखबद्ध करेगी।

18. **आयोग से परामर्श.-** नियम 17 के अनुसार तैयार की गयी सूची सरकार द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आयोग को भेजी जाएगी,-

(एक) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख;

(दो) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी राजपत्रित सेवा के ऐसे सदस्यों (अनुसूची चार के कॉलम (2) में उल्लेखित) के अभिलेख जिन्हें सूची में की गयी सिफारिशों के अनुसार अधिक्रमित किया जाना प्रस्तावित हो;

(तीन) अनुसूची चार के कॉलम (2) के प्रविष्टि दो में उल्लेखित मध्यप्रदेश राज्य सहकारी राजपत्रित सेवा के किसी सदस्य के प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में समिति द्वारा लेखबद्ध किए गए कारण; और

(चार) विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर सरकार के विचार।

**19. चयन सूची.-**

(1) आयोग, सरकार से प्राप्त हुए अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा तैयार की गयी सूची पर विचार करेगा और यदि उसमें कोई परिवर्तन न समझे तो उसे अनुमोदित करेगा।

(2) यदि आयोग, सरकार से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे, वह प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में सरकार को सूचित करेगा तथा सरकार उस पर यदि कोई मत प्रकट करे तो उस पर ध्यान देते हुए ऐसे किन्हीं भी संशोधनों सहित जो उसकी राय में न्यायोचित तथा उपयुक्त हों, सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा।

(3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी राजपत्रित सेवा के सदस्यों के अनुसूची चार के कॉलम (3) में उल्लेखित पद पर अनुसूची चार के कॉलम (1) में उल्लिखित पद से पदोन्नति करने के लिए चयन सूची होगी।

(4) चयन सूची सामान्यतया तब तक लागू रहेगी जब तक कि नियम 17 के उप-नियम (4) के अनुसार उनका पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण न किया जाए:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वाह अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में सरकार के कहने पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि आयोग उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्तियों का नाम हटा सकेगा।

**20. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.-**

(1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम में की जाएंगी, जिस क्रम से ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में हों:

परन्तु यदि सरकार का इस बात से समाधान हो जाए कि रिक्त स्थान संभवतः तीन माह से अधिक अवधि के लिए नहीं होगा तो प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका नाम चयन सूची में न हो या चयन सूची के क्रम में अगला नाम न हो, सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, की नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किया जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की अवधि में उसके कार्य में ऐसी खराबी उत्पन्न न हो जाए जो सरकार की राय में सेवा नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

**21. परिवीक्षा एवं प्रशिक्षण.-** सेवा में सीधे भरती किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा। परिवीक्षा की कालावधि के दौरान विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थाओं और स्थलों में विहित प्रशिक्षण दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी विहित मानक अर्जित करने में असफल रहता है तो परिवीक्षा कालावधि बढाई जा सकेगी। ऐसी विहित

परीक्षा तथा प्रशिक्षण में जैसा कि समय-समय पर, संचालित किया जाए, विहित मानकों से अर्ह होने में असफल रहने पर परिवीक्षा बढ़ाई जा सकेगी तथा सेवोन्मुक्त भी किया जा सकेगा।

22. **परिवीक्षा के दौरान वेतन.-** सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त किया गया कोई अधिकारी परिवीक्षा की कालावधि के दौरान न्यूनतम वेतनमान पर वेतन प्राप्त करेगा। विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही वह नियुक्ति के एक वर्ष की समयावधि के उपरांत देय प्रथम वेतन वृद्धि प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। यदि विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न कर सकने के कारण किसी अधिकारी की वेतनवृद्धि रोक दी जाए तो ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, वह जिस माह में संबंधित परीक्षा ली जाए उसके आगामी जनवरी/जुलाई माह के प्रथम दिन से अनुज्ञात की जाएगी और जिस कालावधि के दौरान वेतन वृद्धि रोक दी गयी हो, उस कालावधि की गणना समयमान में वेतनवृद्धि के लिए की जाएगी।

23. **शिथिलिकरण.-** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

24. **छूट.-** इन नियमों में दी गयी किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिस पर ये नियम लागू होते हों, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को सीमित या कम करती है, जो उसका उचित और न्यायसंगत प्रतीत होती हो:

परन्तु मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

25. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों में कोई भी बात अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपलब्ध किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

26. **निरसन.-** इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पहले लागू सभी नियम इसके द्वारा इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में निरसित किए जाते है:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**पर्वत सिंह,** उपसचिव.

## अनुसूची-एक

(नियम-5 देखिए)

**मध्य प्रदेश राज्य सहकारी राजपत्रित सेवा**

| अनुक्रमांक | विभाग/सेवा का नाम | सेवा में सम्मिलित पद का नाम एवं वर्गीकरण श्रेणी | वेतनमान | स्वीकृत पदों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | संवर्ग में शासन द्वारा स्वीकृत पदों की संख्या | असंवर्गीय शासन द्वारा स्वीकृत पदों की संख्या (प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने हैं) | सहकारी संस्थाओं की उपविधियों/सेवानियमों में सहकारिता सेवा के लिए स्वीकृत पदों की संख्या | कुल पद |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) | अयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं ; भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) | भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) का वेतनमान | 01 | - | - | 01 |
| 2. | म.प्र. (सहकारी) सेवा राजपत्रित | अपर आयुक्त सहकारिता एवं अपर पंजीयक सहकारी संस्थाऐं /प्रथम श्रेणी | छठवां वेतनमान (37400-67000+ग्रेडपे 8700) सातवां वेतनमान पे लेवल 15(123100-215900) | 03 | 03 (सचिव निर्वाचन प्राधिकारी, उप सचिव शासन, सदस्य सहकारी अधिकरण) | 06 (प्रबंध संचालक अपैक्स बैंक, प्रबंध संचालक अपैक्स यूनियन, सचिव वनोपज संघ, प्रबंध संचालक बीज संघ, प्रबंध संचालक शक्कर कारखाना संघ, सचिव विपणन संघ) | 12 |
| 3. | म.प्र. (सहकारी) सेवा राजपत्रित | संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाऐं /प्रथम श्रेणी | छठवां वेतनमान (15600-39100+ग्रेडपे 7600) सातवां वेतनमान पे लेवल 14(79900-211700) | 17 | 01 (उप सचिव निर्वाचन प्राधिकारी) | 08 (प्रबंध संचालक बुरहानपुर शक्कर कारखाना, प्रबंध संचालक उपभोक्ता संघ, महाप्रबंधक राज्य सहकारी संघ, सचिव बीज संघ, सचिव मत्स्य महासंघ, सचिव दुग्ध महासंघ, प्रबंधक वित्त वनोपज संघ, प्रबंधक लेखा वनोपज संघ) | 26 |

| अनक्रमांक | विभाग / सेवा का नाम | सेवा में सम्मिलित पद का नाम एवं वर्गीकरण श्रेणी | वेतनमान | स्वीकृत पदों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | संवर्ग में शासन द्वारा स्वीकृत पदों की संख्या | असंवर्गीय शासन द्वारा स्वीकृत पदों की संख्या (प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने हैं) | सहकारी संस्थाओं की उपविधियों/सेवानियमों में सहकारिता सेवा के लिए स्वीकृत पदों की संख्या | कुल पद |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 4. | म.प्र. (सहकारी) सेवा राजपत्रित | उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं /प्रथम श्रेणी | छठवां वेतनमान (15600-39100+ग्रेडपे 6600) सातवां वेतनमान पे लेवल 513(67300-206900) | 52 | 02 (अवर सचिव निर्वाचन प्राधिकारी, रजिस्ट्रार सहकारी अधिकरण) | 06 (महाप्रबंधक शक्कर कारखाना बुरहानपुर, महाप्रबंधक शक्कर संघ, महाप्रबंधक राज्य सहकारी बैंक,प्रबंध आंतरिक लेखापरीक्षण वनोपज संघ, प्रबंधक सहकारिता वनोपज संघ, प्रबंधक विन्ध्ये वनोपज संघ) | 60 |
| 5. | म.प्र. (सहकारी) सेवा राजपत्रित | सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाऐं / द्वितीय श्रेणी | छठवां वेतनमान (15600-39100+ग्रेडपे 5400) सातवां वेतनमान पे लेवल 12(56100-177500) | 87 | - | - | 87 |
| 6. | म.प्र. (सहकारी) सेवा राजपत्रित | लेखाधिकारी / द्वितीय श्रेणी | छठवां वेतनमान (15600-39100+ग्रेडपे 5400) सातवां वेतनमान पे लेवल 12(56100-177500) | 01 | - | - | 01 |
| 7. | म.प्र. (सहकारी) सेवा राजपत्रित | प्रशासकीय अधिकारी / द्वितीय श्रेणी | छठवां वेतनमान (15600-39100+ग्रेडपे 5400) सातवां वेतनमान पे लेवल 12(56100-177500) | 01 | - | - | 01 |
| 8. | म.प्र. (सहकारी) सेवा राजपत्रित | अंकेक्षण अधिकारी/ द्वितीय श्रेणी | छठवां वेतनमान (9300-34800+ग्रेडपे 4200) सातवां वेतनमान पे लेवल 10(42700-135100) | 131 | - | - | 131 |

## अनुसूची-दो

(नियम-6 देखिए)

मध्य प्रदेश राज्य सहकारी राजपत्रित सेवा

| विभाग का नाम | सेवा का नाम | कर्तव्य पदो की कुल संख्या | भरे जाने वाले सीधी भरती नियम-6-अ | कर्तव्य पदों की पदोन्नति से नियम 8-बी | सेवा का प्रतिशत अल्प सेवाओं से व्यक्तियों को अस्थायी समानांतरण द्वारा नियम-6(6) |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सहकारिता विभाग | **म.प्र.सहकारी सेवा वर्ग-एक** | | | | |
| | 1. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र. | 01 | - | - | भारतीय प्रशासनिक सेवा |
| | 2. अपरआयुक्त सहकारिता एवं अपर पंजीयक सहकारी संस्थाऐं /प्रथम श्रेणी | 03 | - | 100 प्रतिशत | |
| | 3. संयुक्तआयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाऐं /प्रथम श्रेणी | 17 | - | 100 प्रतिशत | |
| | 4. उपआयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं /प्रथम श्रेणी | 52 | - | 100 प्रतिशत | |
| | **म.प्र.सहकारी सेवा वर्ग-दो** | | | | |
| | 5. सहायकआयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाऐं / द्वितीय श्रेणी | 87 | 50 प्रतिशत (43 पद) | 50 प्रतिशत (44 पद) | |
| | 6. लेखाधिकारी | 01 | - | 100 प्रतिशत | |
| | 7. प्रशासकीय अधिकारी | 01 | - | 100 प्रतिशत | |
| | 8. अंकेक्षण अधिकारी | 131 | - | 100 प्रतिशत | |

## अनुसूची-तीन

(नियम-8 देखिए)

## मध्य प्रदेश राज्य सहकारी राजपत्रित सेवा

| विभाग का नाम | सेवा का नाम | न्यूनतम आयु सीमा | अधिकतम आयुसीमा | निर्धारित शैक्षणिक अर्हताए | अन्य बातें अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सहकारिता विभाग | म.प्र.सहकारी सेवा श्रेणी दो सहायक पंजीयक | 21 वर्ष | म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी 3-8/2016 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 के अनुसार एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त। | - |

## अनूसूची चार
(नियम-13 देखिए)

**मध्य प्रदेश राज्य सहकारी राजपत्रित सेवा**

| विभाग का नाम | उससेवा का नाम जिससे पदोन्नति की जावेगी | उससेवा का नाम जिसमें पदोन्नति की जावेगी | पदोन्नति हेतु सेवा सेवा काल | विभागीय समिति के नाम (नियम 13 देखिए) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| सहकारिता विभाग | (अ) म.प्र.सहकारी सेवा वर्ग-एक | | | |
| | 1.संयुक्तआयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाऐं /प्रथम श्रेणी | 1- अपरआयुक्त सहकारिता एवं अपर पंजीयक सहकारी संस्थाऐं /प्रथम श्रेणी | 2 वर्ष | 1. अध्यक्ष म.प्र. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा मनोनीत सदस्य<br>2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता, सदस्य<br>3. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र., सदस्य |
| | 2. उपआयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं /प्रथम श्रेणी | 2-संयुक्तआयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाऐं /प्रथम श्रेणी | 3 वर्ष | 1. अध्यक्ष म.प्र. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा मनोनीत सदस्य<br>2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता, सदस्य<br>3. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र., सदस्य |
| | (ब) म.प्र.सहकारी सेवा वर्ग-दो | | | |
| | 3. सहायकआयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाऐं / द्वितीय श्रेणी | 3-उपआयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं /प्रथम श्रेणी | 5 वर्ष | 1. अध्यक्ष म.प्र. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा मनोनीत सदस्य<br>2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता, सदस्य |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 3. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र., सदस्य |
| | 4. अंकेक्षण अधिकारी | 4-सहायकआयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाऐं / द्वितीय श्रेणी | 6 वर्ष अंकेक्षण अधिकारी, व.स.नि. की सेवा मिलाकर | 1. अध्यक्ष म.प्र. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा मनोनीत सदस्य<br>2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता, सदस्य<br>3. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र., सदस्य |
| | **(स) म.प्र. सहकारिता अधीनस्थ (लिपिक वर्गीय) सेवा** | | | |
| | 5.प्रशासकीय अधिकारी/लेखाधिकारी | 5-सहायकआयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाऐं / द्वितीय श्रेणी | 06 वर्ष प्रशासकीय अधिकारी/ लेखाधिकारी की सेवा मिलाकर | 1. अध्यक्ष म.प्र. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा मनोनीत सदस्य<br>2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता, सदस्य<br>3. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र., सदस्य |
| | **द.म.प्र.सहकारी (लिपिक वर्गीय) सेवा** | | | |
| | 6. अधीक्षक | 6- प्रशासकीय अधिकारी/लेखाधिकारी | 06 वर्ष | 1. अध्यक्ष म.प्र. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा मनोनीत सदस्य<br>2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता, सदस्य<br>3. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र., सदस्य |

**अनुसूची-चार (क)**

**(नियम 13 (1) एवं 14 (2) देखिए)**

**मध्यप्रदेश राज्य सहकारी राजपत्रित सेवा**

| अनुक्रमांक | पद का नाम जिससे चयन किया जाना है | पद का नाम जिस पद पर चयन किया जाना है | चयन के लिए अपेक्षित सेवा की कुल अवधि | समयमान वेतनमान हेतु विभागीय चयन समिति के सदस्यों के नाम |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | म.प्र. राज्य सहकारी राजपत्रित सेवा प्रवर श्रेणी वेतनमान (संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं) छठवां वेतनमान (15600-39100+ग्रेडपे 7600) सातवां वेतनमान पे लेवल 14(79900-211700) | म.प्र. राज्य सहकारी राजपत्रित सेवा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान (अपर आयुक्त सहकारिता एवं अपर पंजीयक सहकारी संस्थाएं) छठवां वेतनमान (37400-67000+ग्रेडपे 8700) सातवां वेतनमान पे लेवल 15(123100-215900) | 02 वर्ष | 1. प्रमुख सचिव/सचिव, सहकारिता, अध्यक्ष<br>2. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सदस्य<br>3. उप सचिव, सहकारिता, सदस्य<br>4. अपर/संयुक्त आयुक्त सहकारिता स्थापना, संयोजक सदस्य |
| 2. | म.प्र. राज्य सहकारी राजपत्रित सेवा वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं) छठवां वेतनमान (15600-39100+ग्रेडपे 6600) सातवांवेतनमान पे लेवल 13(67300-206900) | म.प्र. राज्य सहकारी राजपत्रित सेवा प्रवर श्रेणी वेतनमान (संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं) छठवां वेतनमान (15600-39100+ग्रेडपे 7600) सातवांवेतनमान पे लेवल 14(79900-211700) | 03 वर्ष | 1. प्रमुख सचिव/सचिव, सहकारिता, अध्यक्ष<br>2. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सदस्य<br>3. उप सचिव, सहकारिता, सदस्य<br>4. अपर/संयुक्त आयुक्त सहकारिता स्थापना, संयोजक सदस्य |
| 3. | म.प्र. राज्य सहकारी राजपत्रित सेवा कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान | म.प्र. राज्य सहकारी राजपत्रित सेवा वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान | 05 वर्ष | 1. प्रमुख सचिव/सचिव, सहकारिता, अध्यक्ष<br>2. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सदस्य |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | (सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं) छठवां वेतनमान (15600-39100+ग्रेडपे 5400) सातवां वेतनमान पे लेवल 12(56100-177500) | (उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं) छठवां वेतनमान (15600-39100+ग्रेडपे 6600) सातवां वेतनमान पे लेवल 13(67300-206900) | | 3. उप सचिव, सहकारिता, सदस्य<br>4. अपर/संयुक्त आयुक्त सहकारिता स्थापना, संयोजक सदस्य |
| 4. | म.प्र. राज्य सहकारी राजपत्रित सेवा पदोन्नति वेतनमान (अंकेक्षण अधिकारी) छठवां वेतनमान (9300-34800+ग्रेडपे 4200) सातवां वेतनमान पे लेवल 10(42700-135100) | म.प्र. राज्य सहकारी राजपत्रित सेवा कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं) छठवां वेतनमान (15600-39100+ग्रेडपे 5400) सातवां वेतनमान पे लेवल 12 (56100-177500) | 06 वर्ष (अंकेक्षण अधिकारी/वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक की सेवा मिलाकर ) | 1. प्रमुख सचिव/सचिव, सहकारिता, अध्यक्ष<br>2. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सदस्य<br>3. उप सचिव, सहकारिता, सदस्य<br>4. अपर/संयुक्त आयुक्त सहकारिता स्थापना, संयोजक सदस्य |

टीप.- समयमान वेतनमान हेतु गणना सीधी भर्ती संवर्ग में प्रथम नियुक्ति की दिनांक से की जावेगी तथा कालम 4 की अवधि की गणना समयमान वेतनमान प्राप्त करने की दिनांक से की जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**पर्वत सिंह,** उपसचिव.

No. 1565-1631-2020-XV-2 Bhopal, the 7th December 2022

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules for regulating the recruitment and condition of service of persons appointed to the Madhya Pradesh State Co-operative Gazetted Services, namely:-

## RULES

1. **Short title and commencement.-**
   (1) These rules may be called the Madhya Pradesh State Cooperative (Gazetted) Service Recruitment and Conditions of Service Rules, 2022.
   (2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-
   (a) "Appointing Authority" in relation to the service means the Government or the Authority empowered to make a recruitment to this services or post;
   (b) "Commission" means the Madhya Pradesh Public Service Commission;
   (c) "Commissioner" means the Commissioner Cooperation and Registrar Cooperative Societies, Madhya Pradesh;
   (d) "Economically Weaker Section" means Economically Weaker Sections as specified vide, General Administration Department, Government of Madhya Pradesh circular no. F 07-10/2019/AP/F Bhopal, dated 02nd July, 2019;
   (e) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
   (f) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;
   (g) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;
   (h) "Service" means the Madhya Pradesh State Cooperative Services Class I and II (as mentioned in column (2) of the Schedule II);
   (i) "State" means the State of Madhya Pradesh;
   (j) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or community specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution of India;

(k) "Scheduled Tribes" means any tribe, tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 342 of the Constitution of India;

(l) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26 December, 1984, as amended from time to time.

3. **Scope and Application.-** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Service (General Condition of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service as mentioned in Schedule I.

4. **Constitution of the Service.-** The Service shall consist of the following persons, namely:-

(i) The persons recruited to the service before the commencement of these rules; and

(ii) The persons recruited to the service in accordance with the provision of these rules.

5. **Classification, scales of pay etc.-** The classification of the services, scale of pay and the number of posts included in the Service shall be as specified in Scheduled I:

Provided that the Government may, from time to time, add or reduce the number of posts included in the Service either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of recruitment.-**

(1) Recruitment to the Service after the commencement of these rules shall be made by the following methods, namely:-

(a) By direct recruitment and selection through the competitive examination;

(b) By promotion of the members of Madhya Pradesh Cooperative Service (by promotion of the adhoc members of gazetted and non-gazetted services) as mentioned in column (2) of Schedule IV;

(c) By transfer of persons holding the posts substantively mentioned in the services as specified in this regard.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not exceed the number of posts as specified in Schedule-I and percentage as specified in Schedule II.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method for the purpose of filling any specific vacancy in the service as may be required during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method on each occasion shall be determined by the Government in consultation with the Commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub rule (1), if in the opinion of the Government, the exigencies of the service so requires, the Government may with the prior concurrence of the General Administration Department adopt such methods of recruitment to the service, other than those specified in the said sub rule.

7. **Appointment in the Service.-**

(a) All appointments to the Service after coming into force of these rules shall be made by the Appointing Authority, and no such appointment shall be made except by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

(b) 10 percent posts will be reserved for Economically Weaker Section (EWS) as per the instructions in circular No. F 07-10/2019/आ.प्र./एक Bhopal, dated July 02, 2019 of the General Administration Department, Government of Madhya Pradesh, Mantralaya Bhopal.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.-** In order to be eligible for direct recruitment, a candidate must fulfil the following conditions according to the circular number C 3-8/2016 Bhopal, dated 04 July, 2019 of the General Administration Department, Government of Madhya Pradesh, Mantralaya Bhopal, namely:-

(a) **Age.--** Minimum age 21 years, maximum age 40 years and maximum age relaxation shall be that as determined by the State

Government from time to time in accordance with the guidelines issued by the General Administration Department. There will be a relaxation of 05 years in the upper age limit for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Government / Corporation / Board / Self-Government Employees / Nagar Sainik / Ex-Serviceman / Women (Unreserved / Reserved) etc.

(b) **Educational Qualification.-** Candidates must posses educational and other qualification as prescribed for the service/post in Schedule-III.

(c) **Fee.-** The candidates shall have to pay the fee prescribed by the Appointing Authority/Commission/Government, as revised from time to time.

**9. Disqualification.-**

(1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held him disqualify for appearing in the examination/selection by the Appointing Authority/ Commission /State Government.

(2) Any candidate, who got married before the prescribed minimum age for marriage shall be disqualified for appointment in the service or post.

(3) Any candidate who has more than two living children one of them was born after January 26th, 2001, shall be disqualified for appointment to the service or post, provided that the second child is not twin.

(4) Any candidate who has been convicted for any offence against women shall be disqualified for appointment in the service, whereas, if criminal proceedings are pending in a court, his appointment shall be kept on hold until disposal of the criminal proceedings.

(5) Any male candidate, having more than one living wife and any female, candidate who married to a person who already has a living wife, shall be disqualified for the service.

(6) Any other reason, as prescribed by the State Government.

10. **The decision of the Appointing Authority/Commission regarding the eligibility of the candidates will be final.-**
The decision of the Appointing Authority/Commission regarding the eligibility or ineligibility of any candidate to appear in the examination shall be final and no candidate shall be allowed to appear in the examination who has not been issued a certificate of admission by the Commission.

11. **Direct recruitment by competitive examination.-**

(1) A Competitive examination for the recruitment to the Service shall be held at such intervals, as the Government, from time to time, may determine in consultation with the Commission.

(2) The examination shall be conducted in accordance with the orders as issued by the Government from time to time in consultation with the Commission.

(3) The direct recruitment shall be as per the provisions of the Madhya Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Rules, 1998, and as per the guidelines issued by the Government from time to time. The post for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Candidates shall be reserved. Out of the available vacancies, the post shall also be reserved for women candidates in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provisions for the Appointment of Women) Rules, 2015.

(4) In filling vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 without considering their relative position in comparison to other candidates.

(5) If sufficient numbers of candidates belong to Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall not be filled by other candidates in any way.

(6) The provisions for reservation for physically challenged persons as declared by the Government shall be horizontal and compartment-wise.

**12. List of candidates recommended by the Commission.-**

(1) The Commission shall prepare and forward a list to the Government arranged in order of merit of candidates, who have qualified by such standards as fixed by it and of the candidates, who belong to Scheduled castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard, but are declared by the Commission to be suitable for the appointment to the Service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) Inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such an enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

**13. Eligibility criteria for appointment to junior grade, senior grade, selection grade, senior selection grade, for Cooperative Department. -**

(1) Only such officers working in Junior grade pay scale, Senior grade pay scale, Selection grade pay scale and senior selection grade pay scale shall be eligible for consideration by the Departmental Promotion Committee prescribed in column (5) of Schedule IV(a) for appointment to the higher pay scale of the service, who have completed specified period of service as prescribed in column (4) of Schedule IV(a) as on first day of January.

Explanation: Method of calculation for eligibility for selection-

The qualifying service of the respective year in which the Departmental Promotion Committee has been convened, shall be counted. The period of qualifying service on 1st January shall be counted from the beginning of the calendar year in which the public servant has come in the pay scale of the, feeder cadre/part of the service and it shall not be counted from the date of joining the cadre/ part of service/post in the pay scale.

However, a junior member of the service shall not be eligible to be considered for appointment before a person senior to him in the higher scales of service under these rules on the basis of the service rendered by him:

Provided that under the guidelines issued by the Finance Department, from time to time for providing time scale, pay scale, the members of the service who have been given senior grade pay scale, selection grade pay scale, senior selection grade pay scale, the period of service fixed for providing this pay scale to them shall be counted from the date of first appointment in the cadre.

(2) Such officers to whom senior grade pay scale, selection grade pay scale and senior selection grade pay scale are given or they are receiving the same, then they shall be addressed with the equivalent designation of that pay scale.

(3) If the Appointing Authority considers it necessary to make any change in the list received from the Departmental Promotion Committee, it shall inform the Committee about the proposed change and after considering the comments of the Committee, if any, the list may be approved with such modifications, if any, which in his opinion are proper and just.

(4) The basis of selection shall be "Seniority Cum Merit". The selection list as above shall be prepared keeping in mind the vacancies arising for the next one year, after the approval by the State Government. Appointment shall be made from the approved selection list to the higher pay scales of service on the basis of available post.

**14. The policy for appointment in the Junior grade pay Scale, Senior grade pay scale, Selection grade pay scale and Senior selection grade pay scale in the Cooperation Department.-**

(1) Junior grade pay scale, senior grade pay scale, selection grade pay scale and senior selection grade pay scale means an officer drawing the benefit of the pay scales in columns (2) and (3) of Schedule IV (a).

(2) Only officers getting advantage of senior pay scale, selection pay scale, and senior selection pay scale shall be given designations equivalent to their pay scale by the Departmental Promotion Committee constituted at the Government level as per column (5) of Schedule IV.

(3) The selection shall be made on the basis of "Seniority cum Merit" basis. The above selection list shall be prepared keeping in view the vacancies arising in the coming one year. After the approval of the selection list by the State Government, the appointment shall be made on the basis of availability of posts in the higher pay scales of the service from the approved select list.

(4) If the officer is an Assistant Commissioner and is getting the second time pay scale of 16 years, then the designation shall be given one level further i.e., that of Deputy Commissioner.

(5) The names of the officers who are getting first, second, and third time scale, will be considered.

(6) The Departmental Promotion Committee by making a panel of one and a half times of the higher vacancies, shall designate, the designations of junior grade pay scale, senior grade pay scale, selection grade pay scale and senior selection grade pay scale against the vacant post and the rest of the names shall be kept in the waiting list and as per the vacancies at higher level and the name of the officers shall be considered from the waiting list.

(7) For higher time scale designation, the criteria laid down by the Departmental Promotion Committee shall be followed as under:-

(a) Integrity should be beyond doubt;

(b) The confidential report for five years should not contain any serious adverse remarks and should not be classified as "C" and "D" in any year;

(c) For the evaluation of confidential reports of last five years, 04 marks for category 'A+', 3 for 'A', 02 for 'B', 01 for 'C' and 0 for 'D' have been fixed. He must have at least very good grade (13 marks) for 05 years' general assessment for suitability for the time pay scale;

(d) Period of consideration: If the confidential reports of any years are not available out of the confidential reports of the five years of the consideration period, then in such a situation, the confidential reports for the same previous years should be taken into consideration of those officers;

(e) Officers against whom departmental inquiry/criminal case is pending and cases in which charge sheet has been issued to the delinquent officer and in the criminal cases filed against the concerned officer for reasons of involvement in criminal offences, where it is legally necessary, the sanction of prosecution has been issued and the charge sheet has also been presented in the court and the recommendation of the Departmental Promotion Committee will be kept in a closed cover in all such cases;

(f) The officers who have been punished due to being found guilty in the departmental inquiry/criminal case, and the punishment is effective, a decision for their disqualification will be taken by the Departmental Promotion Committee;

(g) The Departmental Promotion Committee will have the authority to assess the confidential report of the officer concerned and take a reasonable decision regarding the category if it is found necessary in any case;

(h) For the approval of the first-time scale pay scale to the officers coming under consideration zone by the Departmental Promotion Committee, will be determined on the basis of overall evaluation of confidential reports of the last five years.

(8) The action taken for grant of designation equivalent to the time scale pay scale under the policy mentioned in this paragraph shall be subject to paragraph 15.

(9) The action taken in accordance with the policy under this paragraph shall be subject to the decision of the court cases pending in the Hon'ble Supreme Court.

**15. Appointment by Promotion.-**

(1) A Departmental Promotion Committee shall be constituted for making preliminary selection of eligible candidates, consisting of the members mentioned in Schedule IV annexed to it.

(2) The meeting of the Departmental Promotion Committee shall ordinarily be held at least once in a year.

(3) The procedure for promotion to the reserved vacancies shall be as per the instructions issued by the General Administration Department of the Government from time to time.

**16. Eligibility for promotion.-**

(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Departmental Promotion Committee shall consider the cases of all persons who, on the 1st day of January of that year, to the posts to which promotion is to be made or to any other post or posts which the Government has appointed for their declared equivalent, officiating or substantially, has completed such number of years of service as specified in column (4) of Schedule IV and falling within the area of consideration in accordance with the provisions of sub-rule(2):

Provided that after appointment to the service of the emergency commission and short service commission, their service shall be counted according to the General Administration Department's memorandum number 2266/1987/1(3) 67 dated October 21, 1967, from the date on which they are considered appointed in the service:

Provided further that under this decision, no junior person shall be considered for promotion to the upper grades only on the basis of his completion of the prescribed period of service before the person senior to him.

(2) The guidelines issued by the State Government, from time to time shall be applicable regarding the eligibility of the candidates taken in the zone of consideration for promotion.

**17. Preparation of List of the suitable candidate.-**

(1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of persons who, for promotion to the Service satisfy the conditions laid

down in rule 16 above, and whom the Committee may consider suitable for promotion to the service. The list shall consist of sufficient names for filling the unforeseen vacancies for two years.

(2) The selection for inclusion of name in such list shall be based on seniority, merit and suitability in all respects.

(3) The names of the officers included in the list shall be arranged in the order of seniority in the service. Provided that a junior officer who, in the opinion of the Departmental Promotion Committee, is particularly fit and suitable may be given a higher position in the list than the senior officers to him.

(4) The list so prepared shall be reviewed and re-examined every year.

(5) If during such selection, review or revision it is proposed that a member of the Madhya Pradesh State Co-operative Gazetted Service shall be superseded, the Departmental Promotion Committee shall record its reasons in writing regarding the proposed supersession.

18. **Consultation with the Commission.**- The list prepared according to rule 17 shall be sent by the Government to the Commission along with the following documents:-

(i) the records of all the persons included in the list:

(ii) the records of such members of the Madhya Pradesh State Co-operative Gazetted Service (mentioned in column (2) of Schedule IV) who are proposed to be superseded in accordance with the recommendations made in the list;

(iii) the reasons to be recorded by the Departmental Promotion Committee in respect of the proposed supersession of a member of the Madhya Pradesh State Co-operative Gazetted Service mentioned in column (2) of Schedule IV; and

(iv) the views of the Government on the recommendations of Departmental Promotion Committee.

19. **Select List.-**

(1) The Commission shall consider the list prepared by the Departmental Promotion Committee along with other documents received from the

Government, and if any change therein is not considered, it shall approve the same.

(2) If the Commission considers it necessary to make any changes in the list received from the Government, it shall inform the Government about the proposed changes and taking into account the views expressed by the Government thereon, including any such amendments as it considers necessary, justified and appropriate, finally approved the list.

(3) The list, finally approved by the Commission, shall be the select list of members of the Madhya Pradesh State Co- Operative Gazetted Service for promotion from the post mentioned in column (1) of Schedule IV to the post mentioned in column (3) of Schedule IV.

(4) The select list shall ordinarily remain in force until they are reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 17:

Provided that in the event of a serious lapse in the conduct of performance or performance of duty on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be done at the instant of the Government and if the Commission thinks fit, the name of such persons may be removed from the select list.

20. **Appointment to the Service from the Select List.-**

(1) The appointments of the officers included in the select list to the posts of the service cadre shall be made in the order in which the names of such officers appear in the select list:

Provided that if the Government is satisfied that the vacancy will probably not be for a period exceeding three months, then, having regard to administrative requirements, any person whose name is not in the select list or the next name in the order of the select list, yet, appointment to the service can be made.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before

appointment of a person, whose name is included in the select list of the service, unless the period between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment such defect should not arise in his work which, in the opinion of the Government, renders him unfit for service appointment.

21. **Probation and Training.**- Every person directly recruited into the service shall be appointed on probation for a period of two years. During the period of probation, the prescribed training shall be given in specified training institutes and sites. If the candidate fails to achieve the prescribed standard, the period of probation may be extended. Failure to qualify by the prescribed standards in such prescribed examination and training as may be conducted from time to time may result in extension of probation and also discharge.

22. **Pay during probation.**- An officer appointed to the service by direct recruitment shall draw pay at the minimum scale of pay during the period of probation. Only after passing the departmental examination, he shall be eligible to get the first increment payable after a period of one year from the date of appointment. If the increment of an officer is withheld for not passing the departmental examination, then on passing such examination, he shall be allowed on the first day of January/ July following the month in which the concerned examination is to be taken and the period during which the increment in the salary is withheld, that period shall be counted for increment in the time scale.

23. **Relaxation.**- If any question arises regarding the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government and whose decision thereon shall be final.

24. **Exemption.**- Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge

the power of the Governor to deal with such policy in relation to any person to whom these rules apply, which seems to be fair and just to him:

Provided that the matter shall not be disposed of in a manner less favourable to him than the manner provided in these rules.

25. **Saving.-** Nothing contained in these rules shall affect the reservation, relaxation and other conditions required to be made available for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

26. **Repeal.-** All rules corresponding to these rules and enforce immediately before commencement of these rules are hereby repealed in relation to the matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
PARVAT SINGH, Dy. Secy.

Schedule - I

(See rule 5)

Madhya Pradesh State Co-operative Gazetted Service

| Serial No. | Department / Name of Service | Name of the Post included in the Service and Classification | Scale of Pay | No. of sanctioned Posts | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. of Govt. sanctioned Cadre Posts | No. of Govt. sanctioned Non Cadre Posts( from deputation) | Cooperative services sanctioned posts from cooperative societies byelaws and service rules | Total Posts |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Indian Administrative Service (I.A.S) | Commissioner, Cooperation and Registrar, Cooperative Societies | Pay Scale of Indian Administrative Services (I.A.S ) | 01 | - | - | 01 |
| 2. | Madhya Pradesh Co-operative Gazetted Service | Additional Commissioner, Cooperation and Additional Registrar, Cooperative Societies, First Class | Sixth Pay (37400-67000+Grade Pay8700) Seventh Pay level 15(123100-215900) | 03 | 03 (Sachiv Nirvachan Pradhikari, Dy. Secretary, Government Member Sahkari Adhikaran) | 06 (Director, Project, Managing Director, Apex Bank, Managing Director, Apex Union, Managing Director Beej Sangh, Managing Director, Shakkar Karkhana/ Sangh, Secretary Vanopaj Sangh) | 12 |
| 3. | Madhya Pradesh Co-operative Gazetted Service | Joint Commissioner, Cooperation and Joint Registrar, Cooperative Socities, First Class | Sixth Pay (15600-39100+Grade Pay 7600) Seventh Pay level 14(79900-211700) | 17 | 01 (Dy. Secretary, Nirvachan Pradhikari) | 08 (Managing Director, Burhanpur Shakkar karkhana, Managing Director Upbhokta Sangh General Manager, Apex Union, Secretary Beej Sangh, Secretary Matsya Mahasangh, Secretary Dugdha Mahasangh, Manager, Finance Vanopaj Sangh, Manager Accounts, Vanopaj Sangh) | 26 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Madhya Pradesh Co-operative Gazettec Service | Dy. Commissioner, Cooperation and Dy. Registrar, Cooperative Socities, First Class | Sixth pay (15600-39100+Grade pay 6600) Seventh pay level 13(67300-206900) | 52 | 02 (Under Secretary, Nirvachan Pradhikari, 03 Dy. Director, Projects I.C.D P., Registrar, Sahakari Adhikaran) | 06 (Genera Manager Shakkar Karknana, Burhanpur, General Manager, Shakkar Sangh, General Manager Apex Union, Manager Internal Audit,Vanopaj Sangh, Manager, Sahkarita, Vanopaj Sangh, Manager, Legal Vanopaj Sangh ) | 60 |
| 5. | Madhya Pradesh Co-operative Gazetted Service | Asst. Commissioner Cooperation and Asst. Registrar, Cooperative Socities, Second Class | Sixth Pay (15600-39100+ Grade Pay 5400) "Seventh Pay level 12 (56100-177500) | 87 | - | - | 87 |
| 6. | Madhya Pradesh Co-operative Gazettec Service | Accounts Officer, Second Class | Sixth Pay (15600-39100+Grade Pay 5400) Seventh Pay level 12(56100-177500) | 01 | - | - | 01 |
| 7. | Madhya Pradesh Co-operative Gazettec Service | Administrative Officer, Second class | Sixth Pay (15600-39100+Grade Pay 5400) Seventh Pay level 12(56100-177500) | 01 | - | - | 01 |
| 8. | Madhya Pradesh Co-operative Gazetted Service | Audit Officer, Second Class | Sixth Pay (9300 34800+Grade pay4200) Seventh pay level 10(42700-135100) | 131 | - | - | 131 |

## Schedule - II
## (See rules 6)
## Madhya Pradesh State Co-operative Gazetted Service

| Name of Department | Name of Service | Total no. of duty posts | Direct Recruitment posts [rule 6 (1)] | Duty posts from promotion [rule 6(1)(b)] | Percentage of Service from minor services [rule 6(2)] |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Department of Cooperation | **Madhya Pradesh Sahkari Sewa Class-1** | | | | |
| | 1.. Commissioner, Cooperation and Registrar, Cooperative Societies Madhya Pradesh | 01 | - | - | Indian Administrative Service |
| | 2. Addl. Commissioner, Cooperation and Addl. Registrar, Cooperative Societies, First Class | 03 | - | 100 percent | |
| | 3. Joint Commissioner, Cooperation and Joint Registrar, Cooperative Societies, First Class | 17 | - | 100 percent | |
| | 4. Dy Commissioner Cooperation and Dy. Registrar, Cooperative Societies, First Class | 52 | - | 100 percent | |
| | **Madhya Pradesh Sahkari Sewa - Class-2** | | | | |
| | 5. Asst. Commissioner, Cooperation and Asst. Registrar, Cooperative Societies, Second Class | 87 | 50 percent (43 posts) | 50 percent (44 posts) | |
| | 6. Accounts Officer | 02 | - | 100 percent | |
| | 7. Administrative Officer | 01 | - | 100 percent | |
| | 8. Audit Officer | 131 | - | 100 percent | |

## Schedule - III

## (See rule 8)

## Madhya Pradesh State Co-operative Gazetted Service

| Name of Department | Name of Service | Minimum Age | Maximum Age | Required educational qualification | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Cooperative Department | Madhya Pradesh Co-operative Gazetted Service Class II Asst. Commissioner, Cooperation/Asst. Registrar, Cooperative Societies | 21Years | According to the circular number C 3-8/2016 Bhopal. dated 04 July, 2019 of the General Administration Department Government of Madhya Pradesh.and as per the instructions issued by the Government from time to time | Graduate Degree from any recognized university | - |

## Schedule–IV

## (See rule 13)

## Madhya Pradesh State Co-operative Gazetted Service

| Name of Department | Name of post from which promotion is to be made | Name of Post on which promotion is to be made | Service time for Promotion | Name of the members Departmental Promotion Committee |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Department of Cooperation | **(A) Madhya Pradesh Sahkari Sewa Class-1** | | | |
| | 1. Joint Commissioner Cooperation and Joint Registrar, Cooperative Societies, First Class | 1. Addl. Commissioner, Cooperation and Addl. Registrar, Cooperative Societies, First Class | 2 years | 1. Chairman, Madhya Pradesh Lok Sewa Ayog Chairman or nominated Member by him - Chairman<br>2. Secretary, Cooperation Govt. of Madhya Pradesh - Member<br>3. Commissioner Cooperation and Registrar Cooperative Societies Madhya Pradesh, - Member |
| | 2. Dy. Commissioner, Cooperation and Dy. Registrar, Cooperative Societies, First Class | 2. Joint Commissioner, Cooperation and Joint Registrar, Cooperative Societies, First Class | 3 years | 1. Chairman, Madhya Pradesh Lok Sewa Ayog Chairman or nominated Member by him Chairman<br>2. Secretary, Cooperation Govt. of Madhya Pradesh, - Member<br>3. Commissioner, Cooperation and Registrar, Cooperative Societies Madhya Pradesh, -Member |
| | **(B) Machya Pradesh Sahkari Sewa Class-2** | | | |
| | 3. Asst. Commissioner, Cooperation and Asst. Registrar, Cooperative Societies, Second Class | 3. Dy. Commissioner, Cooperation and Dy. Registrar, Cooperative Societies, Second Class | 5 years | 1. Chairman, Madhya Pradesh Lok Sewa Ayog Chairman or nominated Member by him -Chairman<br>2. Secretary, Cooperation Govt. of Madhya Pradesh, Member<br>3. Commissioner Cooperation & Registrar Cooperative Societies Madhya Pradesh, -Member |
| | 4. Audit Officer | 4. Asst. Commissioner, Cooperation and Asst Registrar, Cooperative Societies, Second Class | 6 years Total Service of Audit Officer and Senior Cooperative Inspector | 1. Chairman, Madhya Pradesh Lok Sewa Ayog Chairman or nominated Member by him -Chairman<br>2. Secretary, Cooperation Govt. of Madhya Pradesh, Member<br>3. Commissioner Cooperation and Registrar Cooperative Societies Madhya Pradesh, -Member |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| Department of Cooperation | (C) Madhya Pradesh Sahkarita Adhirasth (Clerical Grade) Service | | | |
| | 5. Administrative Officer/Accounts Officer | 5. Asst. Commissioner, Cooperation and Asst. Registrar, Cooperative Societies, Second Class | 06 years Total services of Administrative officer/ Account Officers | 1. Chairman, Madhya Pradesh. Lok Sewa Ayog Chairman or nominated Member by him - Chairman<br>2. Secretary, Cooperation Govt. of Madhya Pradesh - Member<br>3. Commissioner Cooperation and Registrar Cooperative Societies Madhya Pradesh. - Member |
| | (D) Madhya Pradesh Sahkarita (Clerical Grade ) Service | | | |
| | 6. Superintendent | 6. Administrative Off cer/Accounts Officer | 06 years | 1. Chairman, Madhya Pradesh Lok Sewa Ayog Chairman or nominated Member by him - Chairman<br>2. Secretary, Cooperation Govt. of Madhya Pradesh - Member<br>3. Commissioner Cooperation and Registrar Cooperative Societies Madhya Pradesh. - Member |

## Schedule– IV (a)

(See rule 13 and 14)

## Madhya Pradesh State Co-operative Gazetted Service

| Serial No. | Name of Post from which selection is to be made | Name of Post on which selection is to be made | Total period of expected service for selection | Name of the members of Departmental Promotion Committee for Time Scale |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | **Madhya Pradesh State Co-operative Gazetted Service** Selection Grade Pay scale (Joint Commissioner, Cooperation and Joint Registrar, Cooperative Societies) 6th Pay Scale(Rs.15600-39100 Grade-Pay 7600) 7th Pay Scale Level-14 (79900-211700) | **Madhya Pradesh State Co-operative Gazetted Service** Senior Selection Grade Pay scale (Additional Commissioner, Cooperation and Additional Registrar, Cooperative Societies) 6th Pay Scale (Rs.37400 -67000 Grade-Pay 8700) 7th Pay Scale Level-15 (123100-215900) | 02 years | 1. Principal Secretary/ Secretary, Cooperation - **Chairman**<br>2. Commissioner, Cooperation and Registrar, Cooperative Societies - **Member**<br>3. Deputy Secretary, Cooperation - **Member**<br>4. Additional / Joint Commissioner, Cooperation Establishment - **Member Secretary** |
| 2. | **Madhya Pradesh State Co-operative Gazetted Service** Senior Grade Pay scale (Deputy Commissioner, Cooperation and Deputy Registrar, Cooperative Societies) 6th Pay Scale (Rs.15600-39100 Grade-Pay 6600) 7th Pay Scale Level-13 (67300-206900) | **Madhya Pradesh State Co-operative Gazetted Service** Selection Grade Pay scale (Joint Commissioner, Cooperation and Joint Registrar, Cooperative Societies) 6th Pay Scale (Rs.15600-39100 Grade-Pay 7600) 7th Pay Scale Level-14 (79900-211700) | 03 years | 1. Principal Secretary/ Secretary, Cooperation - **Chairman**<br>2. Commissioner, Cooperation and Registrar, Cooperative Societies - **Member**<br>3. Deputy Secretary, Cooperation - **Member**<br>4. Additional / Joint Commissioner, Cooperation Establishment - **Member Secretary** |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 3. | **Madhya Pradesh State Co-operative Gazetted Service** Junior Grade Pay scale (Assistant Commissioner Cooperation & Assistant Registrar, Co operative Societies) 6th Pay Scale (Rs. 15600-39100 Grade-Pay 5400) 7th Pay Scale Level-12 (56100-177500) | **Madhya Pradesh State Co-operative Gazetted Service** Senior Grade Pay scale (Deputy Commissioner, Cooperation and Deputy Registrar, Cooperative Societies) 6th Pay Scale(Rs.15600-39100 Grade-Pay 6600) 7th Pay Scale Level-13(123100-215900) | 05 years | 1. Principal Secretary/ Secretary Cooperation - **Chairmen**<br>2. Commissioner, Cooperation and Registrar, Cooperative Societies - **Member**<br>3. Deputy Secretary, Cooperation - **Member**<br>4. Additional / Joint Commissioner, Cooperation Establishment - **Member Secretary** |
| 4. | **Madhya Pradesh State Co-operative Gazetted Service** promotion Pay scale (Audit Officer) 6th Pay Scale (Rs.9300 - 34800 Grade-Pay 4200) 7th Pay Scale Level-10 (42700-135100) | **Madhya Pradesh State Co- operative Gazetted Service** Junior Grade Pay scale (Assistant Commissioner, Cooperation and Assistant Registrar, Cooperative Societies) 6th Pay Scale (Rs. 15600-39100 Grade-Pay5400) 7th Pay Scale Level-12 (56100-177500) | 06 years (including service of Audit officer/ senior cooperative inspector) | 1. Principal Secretary/Secretary Cooperation- **Chairmen**<br>2. Commissioner, Cooperation and Registrar, Cooperative Societies - **Member**<br>3. Deputy Secretary, Cooperation - **Member**<br>4. Additional/Joint Commissioner, Cooperation Establishment - **Member Secretary** |

**Note:** Calculation for time pay scale in direct recruitment posts, shall be done from the date of first appointment and calculation of column (4) shall be done from the date of availing time pay scale.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
PARVAT SINGH, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2022